



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग सात

वर्ष ८, अंक १]

सोमवार, फेब्रुवारी २१, २०२२/फाल्गुन २, शके १९४३

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

नगर विकास विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२,  
दिनांकित २ फरवरी २०२२।

**MAHARASHTRA ORDINANCE No. I OF 2022.**

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION  
ACT; THE MAHARASHTRA EDUCATION AND EMPLOYMENT  
GUARANTEE (CESS) ACT, 1962 AND THE MAHARASHTRA (URBAN  
AREAS) PROTECTION AND PRESERVATION OF TREES ACT, 1975.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १ सन् २०२२।

मुंबई नगर निगम अधिनियम ; महाराष्ट्र शिक्षा और रोजगार गारंटी (उपकर) अधिनियम,  
१९६२ और महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, १९७५ में  
अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र शिक्षा और रोजगार गारंटी (उपकर) अधिनियम, १९६२ और महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, १९७५ में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

सन् १८८८ का ३।  
सन् १९६२ का महा. २७।  
सन् १९७५ का ४४।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

अध्याय एक

### प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण । १. (१) यह अध्यादेश मुंबई नगर निगम अधिनियम महाराष्ट्र शिक्षा और रोजगार गारंटी (उपकर) और महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, २०२२ कहलाए।
- (२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

अध्याय दो

### मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १८८८ का ३ की धारा १४० में संशोधन।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा १४० की,—

सन् १८८८ का ३।

(क) उप-धारा (१) के, खण्ड (ग) में, परंतुक और स्पष्टीकरण, अपमार्जित किया जायेगा और १ जनवरी २०२२ से अपमार्जित किया गया समझा जायेगा।

(ख) उप-धारा १ के पश्चात् निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी और १ जनवरी २०२२ से निविष्ट की गई समझी जायेगी, अर्थात् :—

“(१क) इस धारा में या इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, १ जनवरी २०२२ से नगर निगम ४६.४५ वर्ग मीटर (५०० वर्ग फीट) या उससे कम चटाई क्षेत्र होनेवाले निवासी भवनों या निवासी वासगृहों पर धारा १३९क की, उप-धारा (१) में, विनिर्दिष्ट सम्पत्ति कर का कोई कर उद्ग्रहीत नहीं करेगा ।”।

अध्याय तीन

### महाराष्ट्र शिक्षा और रोजगार गारंटी (उपकर) अधिनियम, १९६२ में संशोधन।

सन् १९६२ का महा. २७ की नवीन धारा ७क का निवेशन।

३. महाराष्ट्र शिक्षा और रोजगार गारंटी (उपकर) अधिनियम, १९६२ की धारा ७ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी और १ जनवरी २०२२ से निविष्ट की गई समझी जायेगी, अर्थात् :—

सन् १९६२ का २७।

कर की अदायगी से कतिपय निवासी भवनों या निवासी वासगृहों को छूट।

“७क. धारा ४ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, १ जनवरी २०२२ से बृहन्मुंबई नगर निगम, बृहन्मुंबई नगर निगम क्षेत्र में ४६.४५ वर्ग मीटर (५०० वर्ग फीट) या उससे कम चटाई क्षेत्र होनेवाले निवासी भवनों या निवासी वासगृहों पर धारा ४ में विनिर्दिष्ट शिक्षा उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण नहीं करेगा ।”।

अध्याय चार

महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, १९७५ में संशोधन।

सन् १९७५  
का महा.  
४४।

४. महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, १९७५ की धारा १८ की, उप-धारा (१ख) के पश्चात् निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी और १ जनवरी २०२२ से निविष्ट की गई समझी जायेगी, अर्थात् :—

सन् १९७५ का  
महा. ४४ की  
धारा १८ में  
संशोधन ।

“(१ख-१) उप-धारा (१) और (१क) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, १ जनवरी २०२२ से, बृहन्मुंबई नगर निगम ४६.४५ वर्ग मीटर (५०० वर्ग फीट) या उससे कम चटाई क्षेत्र होने वाले निवासी भवनों या निवासी वासगृहों पर, बृहन्मुंबई क्षेत्र के नगर निगम में वृक्ष उपकर उद्ग्रहीत या संग्रहीत नहीं किया जायेगा ।”।

**वक्तव्य ।**

मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) की धारा १४० सम्पत्ति कर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करती है ; जिसमें जल कर, जल लाभ कर, मल जल निकास कर, मल जल निकास लाभ कर, सामान्य कर, शिक्षा उपकर, सड़क कर और सुधार प्रभार शामिल है ; महाराष्ट्र शिक्षा और रोजगार गारंटी (उपकर) अधिनियम, १९६२ (सन् १९६२ का महा. २७) शिक्षा उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करता है ; और महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, १९७५ (सन् १९७५ का महा. ४४) वृक्ष उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करता है।

२. **बृहन्मुंबई** नगर निगम क्षेत्र में अधिकांश छोटे निवासी वासगृह या निवासी भवन राज्य सरकार और नगर निगम के विभिन्न योजनाओं के अधीन विकसित होनेवाले हैं, मलिनबस्ती क्षेत्र में रहनेवाले कई लोग ४६.४५ वर्ग मीटर (५०० वर्ग फीट) या उससे कम चटाई क्षेत्र होनेवाले अधिभोगी, छोटे निवासी वासगृहों या निवासी भवनों के स्थायी मकानों में स्थानान्तरित हो गए हैं। वर्तमान में बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण, बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा उद्ग्रहीत बढ़ाया हुआ सम्पत्ति कर ऐसे मकानों में रहनेवाले लोगों के लिए अवहनीय है। कोविड-१९ महामारी के कारण भी मुंबई शहर के कई कारोबार बंद हो गए हैं और कई लोगों ने उनकी नौकरी और आजीविका के स्रोत गँवा दिए हैं। इसलिए, सम्पत्ति कर को अदा करना लोगों के लिए मुश्किल हुआ है। यहाँ पर ४६.४५ वर्ग मीटर (५०० वर्ग फीट) या उससे कम निवासी क्षेत्र को सम्पत्ति कर से छूट देने की लोगों से लगातार माँग हो रही है।

बृहन्मुंबई नगर निगम ने ऐसे छोटे निवासी भवनों या निवासी वासगृहों पर सम्पत्ति कर उद्ग्रहीत न करने के लिए, एक संकल्प भी पारित किया है। इसलिए मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा १४० में और महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, १९७५ की धारा १८ में यथोचित संशोधन करना तथा महाराष्ट्र शिक्षा और रोजगार गारंटी (उपकर) अधिनियम, १९६२ में नई धारा ७क का निविष्ट करना इष्टकर समझा गया है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि, १ जनवरी २०२२ से बृहन्मुंबई नगर निगम, ४६.४५ वर्ग मीटर (५०० वर्ग फीट) या उसे कम चटाई क्षेत्र होनेवाले निवासी भवनों या निवासी वासगृहों पर, सम्पत्ति कर का कोई कर उद्ग्रहीत नहीं करेगा।

३. चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें, इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम ; महाराष्ट्र शिक्षा और रोजगार गारंटी (उपकर) अधिनियम, १९६२ और महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, १९७५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है ।

मुंबई,  
दिनांकित १ फरवरी २०२२।

**भगत सिंह कोश्यारी,**  
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

**महेश पाठक,**

सरकार के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

**विजया ल. डोनीकर,**

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।